संख्या-43/2020/335/59-2-2020-19(खा)/2009

प्रेषक,

राम आसरे राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक: 22 मई, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-05 के अन्तर्गत उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की वित्त पोषित इकाईयों के लाभार्थियों हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण योजना हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक-100/खा.ग्रा.बो./व्यवहारिक प्रशि0 योजना पत्रा0/2020-21, दिनांक 08.05.2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमियों को वित्त पोषण से पूर्व प्रशिक्षित करने हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपये 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त रू0 25.00 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि व्यय किए जाने हेतु निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 के निर्वतन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। उक्त धनराशि का व्यय अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार ही किया जायेगा:-

(1)- उक्त धनराशि का व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020, में दिये गये निर्देशों तथा समय-समय पर शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन प्रभारी मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- व्यय की तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही स्वीकृत धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(3)- वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 29-05-2012 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार धनराशि का भुगतान नगद व चेक के माध्यम से न करके सीधे लाभार्थी के खाते मे NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली किया जायेगा।

(4)- योजनान्तर्गत उद्यमिता विकास हेतु लाभार्थियों का चयन, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत जिला स्तरीय समिति द्वारा चयनित/ स्वीकृत/वित्त पोषित इकाईयों/ लाभार्थियों का किया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि का मासिक व्यय प्रभारी, मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, अधिकारियों द्वारा प्रपत्र बी-एम-8 में दो प्रतियों में शासन व सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन को प्रति माह उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6)- उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अनुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7)- उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद या उनके द्वारा मनोनीत अन्य किसी अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्ट्रोलर एवं आडिटर जनरल भारत सरकार या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए उपलब्ध रहेगा।

(8) कार्मिक विभाग प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ के शासनादेश संख्या-1/1/2010-का-प्रसको.-2014, दिनांक 03 सितम्बर, 2014 एवं नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-363/35-1-2016-5/31(3)/85, दिनांक 02 जून, 2016 में उल्लिखित प्रशिक्षण दरों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) उक्त प्रशिक्षण के अन्तर्गत प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी/प्रत्येक प्रशिक्षक का प्रत्येक सत्र का प्रतिदिन का डिजिटल फोटोग्राफ संरक्षित किया जायेगा तथा उनके मोबाइल नम्बर/आधार नम्बर भी संरक्षित किये जायेंगे।

(10) व्यवहारिक प्रशिक्षण के अन्तर्गत उद्यमिता विकास हेतु लाभार्थियों का चयन निम्न योजनाओं के अन्तर्गत किया जायेगा:-

- मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार (एम.एम.जी.आर.वाई.) योजना के लाभार्थियों को उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.), भारत सरकार योजनान्तर्गत के लाभार्थियों उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.), भारत सरकार योजनान्तर्गत वे लाभार्थी जिनका ऋण बैंको के द्वारा स्वीकृत/वितरित कर दिया गया है, उनका उद्यमिता विकास प्रशिक्षण खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराये गये धनराशि से किया जायेगा। समस्त प्राचार्य, मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रषिक्षण केन्द्र ऐसे समस्त लाभार्थियों का प्रशिक्षणोपरान्त रिक्यूपमेंट खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार से प्राप्त करेंगे जिनका ऋण बैंकों के द्वारा स्वीकृत/वितरित कर दिया गया है।
- अन्य खादी एवं ग्रामोद्योगी योजनाओ के लाभार्थियो को भी उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा।

(11) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ गत वित्तीय वर्ष 2019-20 की प्रगति आख्या, संकाय का नाम, दिये गये मानदेय का विवरण फोन नम्बर सहित एवं प्रशिक्षण का विस्तृत कार्यक्रम शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-5 के लेखा शीर्षक '2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-105-खादी ग्रामोद्योग-11-खादी बोर्ड की वित्त पोषित इकाइयों की व्यवहारिक प्रशिक्षण (जिला योजना)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)' के नामें डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020, में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(राम आसरे राम)
अनु सचिव।

संख्या-43/2020/335/59-2-2020-19(खा)/2009 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ।
4- वित्तीय सलाहकार उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ।
5- जिलाधिकारी/प्रभारी, मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ, गोरखपुर, आजमगढ, मऊ, बहराइच, इलाहाबाद, जालौन, शाहजहॅापुर, मथुरा, बिजनौर।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
10- गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(राम आसरे राम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-43/2020/335/59-2-2020-19(खा)/2009, दिनांक 22 मई, 2020 का संलग्नक:-

वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यवहारिक प्रशिक्षण योजना मद में प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि रू0 25.00 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र) की प्रशिक्षण केन्द्रवार फाँट

क्रम सं0	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	आच्छादित जनपद सं0	धनराशि (रू0 में)	सत्र सं0	प्रशिक्षा0 की सं0
1.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र डालीगंज-लखनऊ	07	2,50,000.00	2	50
2.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, खजनी-गोरखपुर	06	2,50,000.00	2	50
3.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, आह्लोपट्टी- आजमगढ़	05	2,50,000.00	2	50
4.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, रतनपुरा-मऊ	05	2,50,000.00	2	50
5.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, बहराइच	05	2,50,000.00	2	50
6.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, अनुवॉं-प्रयागराज	07	2,50,000.00	2	50
7.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, कालपी-जालौन	11	2,50,000.00	2	50
8.	मं0ग्रा0 प्रशिक्षण केन्द्र, पिपरौला-शाहजहॉपुर	07	2,50,000.00	2	50
9.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, अडिग-मथुरा	08	2,50,000.00	2	50
10.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, नजीबाबाद-बिजनौर	14	2,50,000.00	2	50
	योग-	75	25,00,000. 00	20	500

(रूपये पच्चीस लाख मात्र)

(राम आसरे राम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in